कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

श्री सन्तराम बेदी, प्रधानाचार्य राउमावि अणतपुरा, सांभरलेक जिला जयपुर का स्थानान्तरण आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/स्थानान्तरण/वो–2 दिनांक 30.09.2021 द्वारा राउमावि चांधन जिला जैसलमेर एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद बुनकर, प्रधानाचार्य राउमावि भोरदों का बास, सीकर से स्थानान्तरणाधीन राउमावि सार्दुलपुरा, जयपुर का स्थानान्तरण राउमावि अणतपुरा, सांभरलेक जिला जयपुर किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध सन्तराम बेदी द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 6021/2021 सन्तराम बेदी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.12.2021 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 30.09.2021 का क्रियान्वयन अपीलार्थी सन्तराम बेदी के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है जिसके फलस्वरूप राउमावि अणतपुरा, सांभरलेक जिला जयपुर में प्रधानाचार्य पद पर दोहरे पदस्थापन की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

उक्त दोहरे पदस्थापन के निवारणार्थ शासन के पत्र क्रमांक पं.(17)शिक्षा–2/2022 दिनांक 23.06.2022 की अनुपालना में माननीय अधिकरण के अपील में पारित आगामी/अन्तिम आदेश के अध्यधीन श्री सन्तराम बेदी, राउमावि अणतपुरा, सांभरलेक जिला जयपुर में प्रधानाचार्य पद पर यथावत पदस्थापित रहेंगे एवं स्थगन से प्रभावित प्रधानाचार्य श्री राजेन्द्र प्रसाद बुनकर का समायोजन/पदस्थापन **GSSS CHANDHAN (220418) JAISALMER** में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाता है।

Rajasthan Education Department

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/संतराम बेदी/6021/2021 दिनांकः 18-07-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संबधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,
5. संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
6. संबधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक,
7. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
9. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
10. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
11. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)